न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223RTA2022-110Ju2022-38 Ramlal vs Tejaram etc

रामलाल पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट, निवासी- कागल, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. तेजाराम पुत्र मानाराम जाति जाट, निवासी- ग्राम कागल, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
02. रामचन्द्र पुत्र मानाराम जाति जाट, निवासी- ग्राम कागल, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
03. नाथाराम पुत्र मानाराम जाति जाट, निवासी- ग्राम कागल, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
04. धनश्याम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट, निवासी- ग्राम कागल, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
05. नेनाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट, निवासी- ग्राम कागल, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
06. प्रेमाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट, निवासी- ग्राम कागल, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
07. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर दिनांक 15 फरवरी 2022 राजस्व वाद संख्या 03/2019 रामलाल बनाम तेजाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री माधवराज चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री शैतानराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से छः
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या सात

नि र्ण य

दिनांक : 16 नवंबर, 2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2019 रामलाल बनाम तेजाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 23 मार्च 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद सहायक कलक्टर पीपाड़शहर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम कागल की सरहद में स्थित खसरा नंबर 354 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा वादी के खातेदारी की आई हुई है। आगे यह भी कथन किया कि इस खेत के पश्चिमी दिशा में प्रतिवादीगण संख्या एक से छः वादी की इस खातेदारी भूमि में अवैध रूप सें कब्जा करने की नियत से निर्माण कार्य करने पर उतारू है तथा रोजाना वादी के साथ में लड़ाई झगड़ा करते रहते है तथा वादी अपनी वादग्रस्त भूमि के सुरक्षार्थ इस वादग्रस्त भूमि के चारो ओर बाउंड्री वाल करवाना चाहता है, लेकिन प्रतिवादीगण पश्चिम दिशा की ओर वादी को उसकी खातेदारी भूमि की सुरथार्थ चारदीवारी बनाने नहीं दे रहे है, जबकि प्रतिवादीगण संख्या एक से 1से 6 को वादी को रोकने का कोई विधिक हक अधिकार नहीं है। वादी ने अपने वादपत्र के अनुतोष में प्रतिवादीगण संख्या एक से छः को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से वादी की खातेदारी भूमि में दखलंदाजी करने से रोकने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दर्ज करवाकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया। जिसमें मुख्य रूप से वादी के कथनों को नकारते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण के ग्राम कागल की आबादी भूमि में पीढीयों से पुराने रहवासीय मकान एवं बाड़े बने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए है, जिनका प्रतिवादीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादीगण का वादी की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। प्रतिवादी द्वारा अंत में निवेदन किया गया कि वादी का वाद खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या एक से छः के अभिवचनों के आधार पर दावे में 9 तनकियात कायम की गई। पत्रावली वादी की साक्ष्य में विचाराधीन थी। इसी दरम्यान पत्रावली को प्रशासन गांवों के संग अभियान में रखा जाकर वादी के वकील की अनुपस्थिति दर्ज कर उसी दिन आलौच्य आदेश पारित कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित विन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं दस्तावेजात् के विपरीत जाकर पारित किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पातिर आलौच्य निर्णय में एक तरफ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वकील वादी की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए तथा पूर्व में भी उपस्थित होने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाना बताया है तथा वही दूसरी तरफ आलौच्य आदेश में गुणावगुण पर अधीनस्थ न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि वादी एकल खातेदार है तथा खातेदार के रूप में सभी अधिकार धारित करता है। प्रतिवादीगण वादी के द्वारा धारित भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर सकते है। अतः वादी को अपनी आराजी में खातेदार के रूप में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त है।। अतः इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं होने तथा पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। इस प्रकार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफ वादी तथा उसके वकील को अनुपस्थित माना तथा दूसरी तरफ वादी के वाद पोषणीय नही होना कहते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए खारिज कर दिया है, जो सरासर गलत, अनुचित एवं विधि विरुद्ध है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने ने आलौच्य निर्णय में यह भी माना है कि प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी भूमि में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है तथा वादी को खातेदार के रूप में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त है। विचारण न्यायालय के इन निष्कर्षो पर पहुंचने के बावजूद भी वादी का वाद पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहन का परिक्षण करवाये बिना ही वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी अनुपस्थिति में गुणावगुण पर वाद को खारिज कर दिया गया जो विधि के सुस्थापित सिद्धांतो के विपरीत होने से आलौच्य निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आलौच्य निर्णय में पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाना लिखा गया है, लेकिन इस पत्रावली में पारित की गई आदेशिकाओं को देखने मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी अथवा उसके अधिवक्ता पूर्व में कभी भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित नहीं रहे। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा आदेश दिनांक 15 फरवरी 2022 जो प्रकरण संख्या 03/2019 बअनुवानियत रामलाल बनाम तेजाराम इत्यादि में पारित है, को अपास्त किया जाने का आदेश फरमावें तथा न्यायोचित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण ग्राम कागल की आबादी भूमि में निवास करते है, जिस पर वाद/अपीलांट को दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। पत्रावली को प्रशासन गांवों के संग अभियान में रखे जाने की सूचना के बावजूद वादी अथवा उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक खसरा नं. 354रकबा 11.01 बीघा वादी रामलाल के नाम से खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में वादी के वाद एवं प्रतिवदीगण के जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वादी की साक्ष्य में विचाराधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य लिये बिना पत्रावली को सीधे ही प्रशासन गांवों के संग अभियान में रखी जाकर वादी एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वादी का वाद खारिज किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय मौका स्थिति बाबत मौका कमिश्नर रिपोर्ट तक तलब नहीं की, जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे-काश्त की स्थिति स्पष्ट हो सके। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री समर्थन योग्य नहीं ठहरते हैं।

वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना, निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2019 रामलाल बनाम तेजाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 15 फरवरी 2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह वाद में कायम तनकीयात के आधार पर उभय पक्ष की साक्ष्य सबूत ले। यदि आवश्यक हो तो विवादग्रस्त आराजी की मौका वस्तु स्थिति बाबत तहसीलदार पीपाड़ शहर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके पर उभय पक्षकारान् के कब्जे-काश्त अनुसार मौका रिपोर्ट तलब कर उसी अनुसार पक्षकारान के कब्जे काश्त अनुसार, साक्ष्य सबूत का तर्कसंगत, विधिसम्मतः एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए मूल वाद का पुनः निस्तारण किया जावे। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 01 दिसंबर 2022 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.11.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर